संख्या-04/2020/780/36-2-2020-19(जी)/2018

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक: 10 जून, 2020**

विषय : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित 'मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना' में संशोधन पर अनापत्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-202/भ0नि0बो0(1605)/20, दिनांक 03-06-2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-220/36-2-2020-19(जी)/2018 दिनांक 19-05-2020 में संशोधन करते हुए आपके पत्र संख्या-4152/भ0नि0बो0(1605)/20, दिनांक 10-02-2020 के संदर्भ में जिसके माध्यम से बोर्ड की 43वीं बैठक दिनांक 07.01.2020 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-04(2) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा संचालित **'मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना'** के प्रस्तर-04 हितलाभ एवं अनुग्रह धनराशि का विवरण, प्रस्तर-05 आवेदन प्रक्रिया, प्रस्तर-06 हितलाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया में संशोधन किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत योजना में संशोधन पर अनापत्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नवत विवरणानुसार संशोधन प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं संगत नियमावली 2009 का अनुपालन पात्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हित में पूर्णत: सुनिश्चित किया जायेगा और इस हेतु वर्तमान तथा भविष्य में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी :-

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	**वर्तमान व्यवस्था**	**प्रतिस्थापित प्रस्तर के उपरान्त व्यवस्था**
1	**2**	**3**
प्रस्तर-4 हितलाभ एवं अनुग्रह धनराशि का विवरण	**प्रस्तर-4 हितलाभ एवं अनुग्रह धनराशि का विवरण** (1) लाभार्थी पुरूष कर्मकार द्वारा प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दशा में पुरूष कामगारों को उनकी पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6000/- (छः हजार मात्र) दो किश्तों (3000 प्रत्येक) में दिये जायेंगे।	**प्रस्तर-4 हितलाभ एवं अनुग्रह धनराशि का विवरण** 1. पंजीकृत पुरूष कर्मकार द्वारा उसकी पत्नी के प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दशा में पुरूष कामगारों को उनकी पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6,000/- (छः हजार मात्र) एकमुश्त दिये जायेंगे। साथ ही, प्रसव के उपरान्त शिशु के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		लड़का होने की स्थिति में एक बार में एक मुश्त धनराशि रू0 20,000/-(बीस हजार मात्र) प्रति शिशु की दर से देय होगी, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) होगी।
	(2) लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में संबंधित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1000/- (एक हजार मात्र) की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा में उसे, उसके छः सप्ताह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी परन्तु दो बच्चों के जन्म के उपरान्त गर्भपात कराये जाने पर यह हितलाभ अनुमन्य नही है। इसके साथ ही यदि महिला श्रमिक अपना नसबंदी आपरेशन कराती है तो उसे, उसके दो सप्ताह के वेतन के समतुल्य की धनराशि देय होगी।	2. पंजीकृत महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में संबंधित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि एकमुश्त एक बार में ही देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1000/- (एक हजार मात्र) की धनराशि भी उक्त हितलाभ के साथ ही एकमुश्त चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा में उसे, उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से उसके छः सप्ताह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी परन्तु दो बच्चों के जन्म के उपरान्त गर्भपात कराये जाने पर यह हितलाभ अनुमन्य नहीं है। इसके साथ ही यदि महिला श्रमिक अपना नसबंदी आपरेशन कराती है तो उसे, उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से उसके दो सप्ताह के वेतन के समतुल्य की धनराशि देय होगी परन्तु प्रसव के साथ ही नसबन्दी कराये जाने अथवा गर्भपात के दौरान नसबन्दी कराये जाने पर यह हितलाभ पृथक से देय नहीं होगा। साथ ही, प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने की स्थिति में एक बार में एक मुश्त धनराशि रू0 20,000/-(बीस हजार मात्र) प्रति शिशु की दर से देय होगी, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) होगी।
	(3) प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने की स्थिति में वर्ष में एक बार एक मुश्त धनराशि रू0 12000/-(बारह हजार मात्र) प्रति शिशु की दर से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने	3. परिवार में पहली बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू0 25000/-(पच्चीस हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से देय होगी परन्तु

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	तक देय होगी, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 15000/-(पन्द्रह हजार मात्र) वर्ष में एक बार एक मुश्त, दो वर्षों तक प्रति शिशु की दर से देय होगा।	जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000/-(पच्चास हजार मात्र) बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से देय होगा। यह सावधि जमा संबंधित बालिका के नाम से उसके माता-पिता/संरक्षक के संयुक्त रूप से बनाया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तथा उसके, उस अवधि तक अविवाहित रहने की स्थिति में ही बालिका द्वारा उक्त जमा धनराशि की परिवक्वता राशि का भुगतान संबंधित बालिका द्वारा धनराशि जिले के जिलाधिकारी के अग्रसारण से ही संबंधित बैंक से प्राप्त की जा सकेगी। सावधि जमा की धनराशि जिले के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च ब्याज दर वाली योजना में रखी जायेगी।
	(4) परिवार में पहली बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू0 25000/-(पच्चीस हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000/-(पच्चास हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। यह सावधि जमा संबंधित बालिका के नाम से माता-पिता/संरक्षक के नाम से बनाया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तथा उसके, उस अवधि तक अविवाहित रहने की स्थिति में बालिका को उक्त जमा धनराशि की परिपक्व राशि का भुगतान संबंधित बालिका द्वारा धनराशि जिले के जिलाधिकारी के अग्रसारण से ही संबंधित बैंक से प्राप्त की जा सकेगी। सावधि जमा की धनराशि जिले के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च ब्याज दर वाली योजना में रखी जायेगी। जहाँ पति एवं पत्नी दोनो ही पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक है तो उन दोनों में से किसी एक को ही हितलाभ अनुमन्य होगा। परिवार के समीपस्थ आँगबाड़ी के केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के	4. जहाँ पति एवं पत्नी दोनों ही पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को ही हितलाभ अनुमन्य होगा। 5. योजना के अन्तर्गत देय समस्त

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अंदर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत माता-पिता को बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित ऑगनबाडी कायकर्ती के अग्रसारण से, प्रस्तुत किया जायेगा।	हितलाभ भुगतान आवेदन किये जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर तथा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त उक्त अधिसूचना में विहित समयावधि के अन्दर प्रत्येक दशा में आवेदक के बैंक खाते में अन्तरित कर दिये जायेंगें।
प्रस्तर-5 आवेदन प्रक्रिया	**<u>प्रस्तर-5 आवेदन प्रक्रिया</u>** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक द्वारा समस्त विवरण अंकित करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों के साथ प्रसव के एक वर्ष के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा संबंधित विकासखण्ड कार्यालय के खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन के पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। (1) पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति। (2) शिशु (बालक/बालिका) के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति। (3) चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव प्रमाण पत्र (प्रसव की स्थिति में) तथा गर्भपात तथा नसबंदी की स्थिति में चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। (4) आगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त आगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र। (5) द्वितीय वर्ष का हितलाभ प्राप्त करने के लिए शिशु के जीवित होने का प्रमाण पत्र। (6) पुत्री यदि गोद ली हुयी है तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख। (7) निर्माण श्रमिक के परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख, जिसमें निर्माण श्रमिक के परिवार को पूर्ण विवरण हो की फोटो प्रति। (8) आधार एवं बैंक पास बुक की फोटो प्रति।	**<u>प्रस्तर-5 आवेदन प्रक्रिया</u>** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक द्वारा समस्त विवरण अंकित करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों के साथ प्रसव के एक वर्ष के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन के पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति। 2. शिशु (बालक/बालिका) के सक्षम अधिकारी के स्तर से आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3. चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव प्रमाण पत्र (प्रसव की स्थिति में) तथा गर्भपात तथा नसबंदी की स्थिति में चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। 4. पुत्री यदि गोद ली हुयी है तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख। 5. निर्माण श्रमिक के परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख, जिसमें निर्माण श्रमिक के परिवार का पूर्ण विवरण हो, की फोटो प्रति। 6. आधार कार्ड एवं श्रमिक के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते की फोटो प्रति।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रस्तर-6 हितलाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया,	**<u>प्रस्तर-6 हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया</u>** (1) योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथा सम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक/निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके। (2) जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथा सम्भव 03 दिन के अंदर स्वीकृतकर्ता के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी	**<u>प्रस्तर-6 हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया</u>** 1. योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 03 दिन के अंदर यथा सम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक/निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके। कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त करते समय उसकी पूर्ण रूप से जाँच कर ली जाये एवं पूर्ण रूप से भरे हुये एवं आवश्यक संलग्नक सहित आवेदन-पत्र ही प्राप्त किये जायें एवं आवेदन-पत्र में कोई कमी पाये जाने पर आवेदक को कमी दूर करने हेतु निर्देशित किया जाये। यदि किसी आवेदक का आवेदन-पत्र इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है अथवा लम्बित रखा जाता है कि उसके आवेदन-पत्र में कतिपय अभिलेख संलग्न नहीं किये गये हैं अथवा आवेदन-पत्र अपूर्ण है, तो ऐसी दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। 2. जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथा सम्भव 03 दिन के अंदर स्वीकृतकर्ता के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए।	अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए। स्वीकर्ता अधिकारी यदि चाहे तो इन आवेदनों पर सम्बन्धित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा जाँच करा सकेगा परन्तु ऐसी जाँच इस रीति एवं समय के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी जिससे कि प्रस्तर-4 में वर्णित समयावधि के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाये।
	(3) स्वीकृति के तीन दिन के अंदर धनराशि का स्थानांतरण लाभार्थी के बैंक में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दिया जायेगा।	3. स्वीकृति के 02 दिन के अंदर धनराशि का अन्तरण लाभार्थी के बैंक में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दिया जायेगा।
	(4) प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी उसकी सूचना प्रपत्र-2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी।	4. यह स्वीकर्ता अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह आवेदन-पत्र प्राप्ति से लेकर आवेदक के खाते में धनराशि अन्तरण तक की सम्पूर्ण कार्यवाही को चरणबद्ध रूप से बोर्ड के बेव-पोर्टल पर प्रविष्ट करायेगा।
	(5) योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे। क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंग।	

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या-04/2020/780(1)/36-2-2020, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीज अहमद
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in